केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय)
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18–संस्थागत एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग
18 INSTITUTIONAL AREA, SHAHEED JEET SINGH MARG,
नई दिल्ली / NEW DELHI -110016
Telephone No -011-26858570

संदर्भ:11-Aud0IA/3/2021-AC(Fin)/E-13062/KVS(HQ)/Audit 69 ई-मेल/डाक द्वारा दिनांक: 6 मई 2026

उपायुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय ।

विषय : 25 केन्द्रीय विद्यालयों के वार्षिक गहन आंतरिक लेखा परीक्षण (Intensive Internal Audit) की अधिसूचना के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषयक यह पत्र चयनित उन केन्द्रीय विद्यालयों में विशेष आंतरिक लेखा परीक्षण की व्यवस्था के संदर्भ में है, जो पूर्व 3 वर्षों से प्रचलन में थी और केविसं के पत्र संख्या F23061/VI-4/2024-KVS(Vig)/919-923 दिनांक 16.01.2025 के द्वारा रोक दी गई थी। उक्त संदर्भित पत्र के अतिक्रमण एवं उसके निरस्तीकरण के उपरांत यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष केविसं, मुख्यालय द्वारा नामित 25 केन्द्रीय विद्यालयों का गहन आंतरिक लेखा परीक्षण किया जाएगा। केविसं एवं शिक्षा मंत्रालय के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के प्रमुख लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों से इन विद्यालयों का चयन इस उद्देश्य के साथ किया जाएगा कि संयुक्त आयुक्त (वित्त) के समग्र पर्यवेक्षण में आंतरिक लेखा परीक्षण प्रणाली को लेखा संहिता के अनुच्छेद 220-221 में निर्दिष्ट अनुसार सुदृढ़ किया जा सके।

2. ऐसे लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष क्रमानुसार आधार पर केविसं, मुख्यालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नामित अधिकारियों द्वारा किए जाएंगे। जिस अवधि हेतु किसी केन्द्रीय विद्यालय का गहन आंतरिक लेखा परीक्षण किया जाएगा, सामान्यतः उसी अवधि हेतु उस विद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय स्तर की लेखा परीक्षण टीमों द्वारा पुनः आंतरिक लेखा परीक्षण नहीं किया जाएगा।

3. तथापि, ऐसे केविसं, इकाइयों के विशेष लेखा परीक्षण, मुख्यालय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों/संदर्भों, उपायुक्तों की संस्तुतियों अथवा स्वत: संज्ञान (suo-moto) यथास्थिति (as the case may be) आदि के आधार पर आवश्यक समझे जाने पर जारी रहेंगे।

4. ऐसे **गहन आंतरिक लेखा परीक्षण** में अनुपालनों की विस्तृत जांच की जाएगी एवं मुख्य बिंदुओं जैसे GFR/GeM के प्रावधानों के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय, विद्यालय विकास निधि का निर्धारित सीमा/अधिकारों के अनुसार प्रबंधन, सार्वजनिक निधियों की निकासी, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग/कदाचार/गबन का पता लगाना, यदि कोई हो, उन्हें शुल्क संग्रहण एवं समन्वयन, भुगतान संबंधी अनुपालन, तथा अन्य वित्तीय गतिविधियां, जिन्हें लेखा परीक्षण दल द्वारा आवश्यक समझा जाए। धोखाधड़ी अथवा सार्वजनिक धन के किसी भी दुरुपयोग/गबन का पता लगाना लेखा परीक्षण दल का दायित्व माना जाएगा।

5. ऐसे लेखा परीक्षण की रिपोर्ट ऑडिट टीम इंचार्ज द्वारा सीधे संयुक्त आयुक्त (वित्त) केविसं, मुख्यालय को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु भेजी जाएगी तथा उसकी प्रति संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त को प्रेषित की जाएगी जो संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से 30 दिनों के भीतर उत्तर प्राप्त कर उपायुक्त अपनी टिप्पणी/अनुशंसा सहित मुख्यालय भेजेंगे। तत्पश्चात मुख्यालय का लेखा परीक्षा अनुभाग उक्त प्रतिवेदन का परीक्षण कर संयुक्त आयुक्त (वित्त की स्वीकृति से आवश्यक कार्रवाई करेगा। सहायक आयुक्त (वित्त) ऐसे लेखा परीक्षणों के संचालन हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगें ।

6. तदनुसार, वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान लेखा परीक्षण हेतु चयनित केन्द्रीय विद्यालयों की विस्तृत सूची, विस्तृत दिशा-निर्देश एवं नामित अधिकारियों के नाम पृथक रूप से यथासमय जारी किए जाएंगे।

इसे आयुक्त, केविसं की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

भवदीय,
06.5.26
(सत्य नारायण गुलिया)
संयुक्त आयुक्त (वित्त)

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव को आयुक्त महोदय की जानकारी हेतु।
2. अपर आयुक्त (प्रशासन/CVO) के निजी सचिव को सूचना हेतु।
3. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/कार्मिक/प्रशिक्षण/शैक्षणिक), विभागाध्यक्ष, केविसं, मुख्यालय को आवश्यक सूचना हेतु।
4. सहायक आयुक्त (आईटी सेल), केविसं, मुख्यालय को केविसं की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु, ताकि सभी संबंधित को जानकारी प्राप्त हो सके।